भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2756

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2756. श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश विशेषकर गुजरात में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा क्षेत्र-वार कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) उक्त निवेश देश में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों हेतु किस हद तक लाभकारी साबित हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे और निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा किए गए निवेश के क्षेत्रवार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) दोनों शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी राज्यों/संघ शासित राज्यों के आंकड़े अनुबंध-I में दिए गए हैं। एनआरआई के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के अंतर्गत कुल निवेश संबंधी वर्ष-वार आंकड़े अनुबंध-II में दिए गए हैं। तथापि, एनआरआई से प्राप्त एफपीआई राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों संबंधी आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख): विदेशी/एनआरआई निवेश प्रमुख रूप से निजी व्यावसायिक निर्णय का मामला है। तथापि, यह घरेलू निवेश में पूर्ति तथा सहायता करते हैं। घरेलू कंपनियां एफडीआई के माध्यम से अनुपूरक पूंजी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाकर, वैश्विक प्रबंधन पद्धतियों के अवसरों से लाभान्वित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होता है और क्षेत्र के विकास में तेजी आती है।

(ग): सरकार की कोशिश रही है कि एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाई जाए। इसका उद्देश्य एफडीआई नीति को अधिक निवेशक अनुकूल बनाना तथा नीतिगत बाधाओं को दूर करना है जो देश में निवेश के अंतर्वाह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मौजूदा एफडीआई नीति का ढांचा निषेध सूची की अवधारणा का पालन करता है जिसमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है जो उपयुक्त कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, एफडीआई नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर एफडीआई नीति व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की भारत एक आकर्षक निवेश स्थल बना रहे। विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई को, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, संघों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों की राय/टिप्पणियों पर विचार करते हुए उनके साथ गहन विचार-विमर्श के बाद अंशांकित तरीके से अनुमति दी जाती है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2756 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतीय कंपनियों में पूंजीगत साधन देने/हस्तांतरण के माध्यम से राज्य-वार और वित्त-वर्ष वार एनआरआई निवेश

(राशि करोड़ रूपए में)

राज्य	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल, 2019 तक)**
आंध्र प्रदेश	42.73	9.42	7.7	6.23
बिहार	-	-	1.95	-
चंडीगढ़	0.10	-	0.18	2.71
छत्तीसगढ़	-	-	0.39	-
दादर और नगर हवेली	-	-	0.23	-
दिल्ली	-	-	68.07	7.26
गोवा	0.39	-	0.1	0.4
गुजरात	159.00	9.22	66.3	11.67
हरियाणा	2.14	29.42	66.48	5.65
हिमाचल प्रदेश	-	0.10	0.19	-
कर्नाटक	29.73	35.70	452.68	8.91
केरल	260.67	1.84	109.01	10.82
मध्य प्रदेश	1.02	-	0.4	0.2
महाराष्ट्र	277.48	770.67	379.75	55.08
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	48.36	9.49	25.61	-
ओडिशा	-	3.61	11.1	-
पांडिचेरी	-	-	0.03	-
पंजाब	-	-	8.34	0.21
राजस्थान	9.77	2.28	22.86	-
तमिलनाडु	49.69	89.80	178.2	51.35
तेलंगाना	127.19	57.72	184.98	7.4
उत्तर प्रदेश	0.42	11.22	10.34	-
उत्तराखंड	-	32.00	-	0.01
पश्चिम बंगाल	3.65	0.64	25.88	9.34

स्रोत: प्रपत्र एफसी-जीपीआर और एफसी-टीआरएस में ट्रांसफरर/ट्रांसफरी/कंपनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2756 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पूंजीगत साधन में पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के माध्यम से एनआरआई निवेश

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	निवल अंतर्वाह (राशि करोड़ रूपए में)
1.	2016-17	4622.78
2.	2017-18	8280.69
3.	2018-19	4444.00
4.	2019-20 (अप्रैल, 2019 तक)	101.25

स्रोत: एलईसी-एनआरआई पैकेज में प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार

*****